

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : स्था./नियुक्ति/2014/174

दिनांक : 15/07/2014

—: विज्ञापित :-

भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में वर्तमान में अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 48 पद रिक्त हैं एवं चार पद दिनांक 31/12/2014 तक रिक्त होने वाले हैं। अतः कुल 52 रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस विज्ञापित में दी गई शर्तों एवं निर्धारित नियमों के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त रिक्त पद का राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के अन्तर्गत रनिंग Pay Band-1 5200-20200+Grade Pay 1,700/- प्रतिमाह में राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ-11(7)एफ.डी.(नियम)/2008 दिनांक 12/09/2008 के नियम 21 के तहत प्रोबेशन काल की 02 वर्ष की अवधि के लिये उक्त पद का नियत पारिश्रमिक 5400/- रुपये प्रतिमाह देय होगा। उक्त रिक्त पदों में से 08 पद अनुसूचित जाति, 06 पद अनुसूचित जनजाति, 11 पद अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 27 पद सामान्य वर्ग के हैं तथा उक्त आरक्षण में राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक पं. 2(5) कार्मिक / क-2 /2004 दिनांक 20.12.12 के प्रावधानों अनुसार महिलाओं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए नियमानुसार आरक्षण देय होगा। वर्तमान में जो पद ज्ञापित हैं वे अधिशेष कर्मचारियों को समाविष्ट करके या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा नियमों के अनुसार अर्न्तजिला स्थानान्तरण से भरे जा सकेंगे। ज्ञापित पद प्रायोगिक अथवा अन्नतिम (टेन्टेटिव) हैं, जिनके घटने बढ़ने की संभावना हैं। उक्त पदों की संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा जिस पर रोस्टर नियमानुसार प्रभावी होगा। आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी सफल नहीं होने पर उस वर्ग को अन्य वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।

उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रोबेशन ट्रेनी) के पद हेतु आवेदन करने वालों के लिए निम्नांकित आवश्यक योग्यताएँ तथा शर्तें लागू होंगी :-

- 01— **राष्ट्रीयता** :- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो अथवा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम 1999 के नियम 11 के अनुसार अर्हता रखता हो।
- 02— **आयु** :- आवेदक की आयु दिनांक 01/01/2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विधवा/तलाकशुदा महिला, एवं अन्य आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।
- 03— **शैक्षणिक योग्यता** :- अभ्यर्थी को उक्त पद के लिये आवेदन करने के लिए किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने व लिखने का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिये।
- 04— **चरित्र** :अ - आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। आवेदक अपने चरित्र के संबंध में दो उत्तरदायी व्यक्तियों जो कि उसके रिश्तेदार न हों के दो चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा एवं उक्त चरित्र प्रमाण पत्र आवेदक के आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से छह माह पूर्व के नहीं होने चाहिये।

ब- प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उस किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दण्डिक मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि आवेदक के विरुद्ध कोई दण्डिक मामला न्यायालय में लंबित है तो आवेदक को उक्त मामले का विवरण शपथ पत्र में अंकित करना होगा। आवेदक को उक्त घोषणा का संलग्न प्रारूप 01 में शपथ पत्र 10 रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

- 05— **शारीरिक योग्यता** :- आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक या मानसिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय आवेदक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 06— **संतान** :- राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों) नियम 1999 के अनुसार अभ्यर्थी के यदि दिनांक 01/06/2002 को या उसके बाद दो से अधिक संतान हो, राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। विवाहित आवेदक को इस संबंध में दिनांक 01/06/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने का घोषणा का संलग्न प्रारूप संख्या 02 में शपथ पत्र 10 रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।


- 07- **विवाह पंजीयन** :- राज्य सरकार के परिपत्र संख्या : प.7(3)कार्मिक/क-2/2006 दिनांक : 30/06/2006 के अनुसार विवाहित स्त्री/पुरुष आवेदक आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नी का नाम का उल्लेख करेंगे, तथा जिनका विवाह दिनांक 22/05/2006 के पश्चात हुआ है विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अनिवार्यतः संलग्न करेंगे एवं ऐसे आवेदक जिनका विवाह दिनांक 22/05/2006 से पूर्व हुआ है एवं विवाह का पंजीकरण नहीं कराया गया है संलग्न प्रपत्र 03 में अंकित शपथ पत्र 10 रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
- 08- **पेंशन योजना** :- राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक : एफ-15(7) एफ.डी.(रूल्स) 97 दिनांक : 14/01/2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 12 एफ डी (रूल्स) दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 तथा इस संबंध में तत्पश्चात किये गये समस्त संशोधनों के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी पर प्रोबेशन अवधि समाप्ति के बाद नवीन अंशदायी पेंशन योजना , मेडिकल अटेंडेंट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि एवं स्थाई पारितोषण संबंधी सभी नये नियम प्रभावी/लागू होंगे।
- 09- **आवेदन पत्र** :- अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप में सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ वांछित एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्रों की सत्यप्रतिलिपियाँ संलग्न करनी होंगी। आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी को अपना पासपोर्ट साईज का स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित फोटो लगाना होगा और आवेदन को पूर्ण भरकर हस्ताक्षरित करना होगा। आवेदन पत्र एवं शपथ पत्रों का प्रारूप जिला एवं सेशन न्यायालय भीलवाड़ा के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।
- 10- **आवेदन पत्र की अंतिम तिथि** :- आवेदन पत्र दिनांक 07/08/2014 को कार्यालय समय (सायं 05.00 बजे) तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा आवश्यक रूप से पहुंच जाने चाहिये। इस विज्ञप्ति के जारी होने से पूर्व में प्राप्त एवं विज्ञप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा वांछित दस्तावेजात संलग्न नहीं होने पर अथवा कोई कमी पाये जाने पर ऐसे आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा।
- 11- **साक्षात्कार** :- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बाद जाँच सही पाये जायेंगे, उनकी सूची इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 18/08/2014 को चस्पा कर दी जावेगी जिसमें साक्षात्कार की दिनांक एवं समय अंकित किया जावेगा। साक्षात्कार के संबंध में सूचना पृथक से किसी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जावेगी और न ही इस साक्षात्कार हेतु किसी आवेदक को यात्रा भत्ता आदि देय होगा। उपरोक्त साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि साक्षात्कार के एक दिवस पूर्व जिला एवं सेशन न्यायालय भीलवाड़ा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी और इसकी जानकारी करने की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी तथा उक्त बाबत आवेदक को इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- 12- **अन्य**
- 1- आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत की गई है उन सभी के मूल प्रमाण पत्रों को आवेदक को साक्षात्कार के समय साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।
 - 2- आवेदक द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न/सिफारिश पर उसे इस पद की भर्ती के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
 - 3- कोई भी पुरुष या महिला आवेदक जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियों/पति है सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी।
 - 4- ऐसे आवेदक जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटचित प्रलेख, सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने का दोषी किया गया है वो इस पद की नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
 - 5- उपरोक्त पद पूर्णतया अस्थाई हैं।

6- उपरोक्त विज्ञप्ति मे प्रकाशित तिथियों में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा।
13- आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने आवश्यक है :-

- 1) जन्म दिनांक सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
- 2) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपिया
- 3) अन्य कोई दक्षता/ योग्यता/ अनुभव हो तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 4) आरक्षण संबंधी/ आयु सीमा में छूट चाहने संबंधी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि
- 5) विधवा महिला के पति की मृत्यु बाबत सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला के विवाह विच्छेद की सक्षम न्यायालय से पारित विवाह विच्छेद की डिक्री अथवा प्रमाण पत्र
- 6) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिये गये मूल चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन की तिथि से छः माह से अधिक पुराने नहीं हो एवं आवेदक के रिश्तेदार न हो।
- 7) दोषसिद्धि नहीं होने के बारे में आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप - एक में शपथ पत्र
- 8) विवाहित आवेदक को दिनांक 01/06/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान नहीं होने बाबत आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप 2 में शपथ पत्र
- 9) विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति अथवा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप -3 में शपथ पत्र
- 10) विवाहित अभ्यर्थी द्वारा विवाह के समय अथवा उसके पश्चात दहेज स्वीकार नहीं किये जाने तथा अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा विवाह किये जाने पर दहेज स्वीकार नहीं किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप 4 में शपथ पत्र
- 11) आवेदक के जिला नियोजन पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि हो) कि सत्यप्रति
- 12) स्वयं का पता लिखा हुआ एवं 05 रुपये का डाक टिकिट लगा एक लिफाफा

नोट :- 1- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे उपरोक्त प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि की सूची आवेदक को अपने स्वयं के हाथ से आवेदन पत्र के पीछे कमवार लिखनी होगी एवं इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

2- संपूर्ण विज्ञप्ति इस न्यायालय की वेबसाईट <http://ecourts.gov.in/bhilwara> पर देखी जा सकती हैं।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा 15.7.14

क्रमांक : स्था./नियुक्ति/2014/.....

दिनांक : 15/07/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
- 2- श्री निजी सचिव माननीय निरीक्षण न्यायाधिपति महोदय राजस्थान उच्च न्यायालय
- 3- जिला एवं सेशन न्यायाधीश
- 4- भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र के अधिकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय
- 5- जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा
- 6- जिला समाज कल्याण अधिकारी भीलवाड़ा
- 7- जिला नियोजन अधिकारी, भीलवाड़ा
- 8- सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, भीलवाड़ा
- 9- सूचना पट्ट जिला न्यायालय, भीलवाड़ा
- 10- स्थापनानुभाग जिला न्यायालय भीलवाड़ा


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा 15.7.14

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

आवेदक का
हस्ताक्षरित
नवीनतम
पासपोर्ट साईज
फोटो

01	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	:	
02	पिता का नाम	:	
03	विवाहित होने पर पति/पत्नि का नाम	:	
04	जाति	:	
05	आरक्षित वर्ग का नाम (यदि हो)	:	
06	स्थायी निवास का पता	:	
07	वर्तमान निवास का पता	:	
08	निकटतम पुलिस स्टेशन	:	
09	मोबाईल/दूरभाष नं.	:	
10	जन्म तिथि (अंको में)	:	/ /
	(शब्दों में)	:	
11	दिनांक 01.01.2015 को आयु	:वर्ष.....माह.....दिन
12	शैक्षणिक योग्यता	:	
13	वर्तमान नियुक्ति (यदि कोई हो) पद, सेवा की अवधि एवं पदनाम	:	
14	अग्रप्रेषण अधिकारी का नाम, पदनाम, यदि आवेदक पूर्व में सेवारत है	:	
15	राष्ट्रीयता	:	
16	नियोजन कार्यालय का पंजीयन क्रमांक व इसकी वैधता(यदि हो)	:	
17	अन्य योग्यता/अनुभव(यदि हो)	:	

स्थान :

दिनांक :

मैं.....सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित
उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

दोषसिद्धि के संबन्ध में घोषणा का शपथ-पत्र

(यस रूपमें कानून - ज्यूडिशियल स्टाफ पर जोड़री से तैयारी किया हुआ)

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष निवासी.....
..... जिला.....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :

01. यह कि मुझे भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र भरे जाने तक दण्डित नहीं किया गया है।

अथवा

मुझे न्यायालय..... द्वारा
प्रकरण संख्या..... में दिनांक..... को
दण्डित किया गया है।

02. यह कि मेरे विरुद्ध भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

अथवा

मेरे विरुद्ध न्यायालय..... में प्रकरण
संख्या..... विचाराधीन है।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

:: सत्यापन ::

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष निवासी.....
..... जिला.....

शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

संतान के सम्बन्ध में घोषणा का शपथ-पत्र
(दस रूपय के नॉन-जुड़िशियल स्टाम्प पर जाकर स तस्वीक किया हुआ)

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष निवासी.....
..... जिला.....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष निवासी.....
..... जिला.....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अभी अविवाहित हूँ तथा भविष्य में विवाह करने पर दो से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

:: सत्यापन ::

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष निवासी.....
..... जिला.....

शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

विवाह के सम्बन्ध में घोषणा का शपथ-पत्र

(यस रूप में कानून - 1954 अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा के तहत किया गया है।)

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष निवासी.....
जिला.....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :

मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी
.....के साथ सम्पन्न हुआ था, परन्तु उक्त विवाह अनिवार्य विवाह
पंजीकरण लागू होने से पूर्व दिनांक.....को सम्पन्न होने के कारण
पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी
.....के साथ दिनांक.....को राजस्थान के बाहर सम्पन्न होने
के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं अविवाहित हूँ। भविष्य में विवाह होने पर दो से
अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूँगा/करूँगी।

या

मैं विधुर/विधवा हूँ (मेरे/मेरी, पति/पत्नी का
नाम श्री/श्रीमती.....था)

या

मैं..... तलाकशुदा हूँ। (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री के साथ
दिनांक..... को सम्पन्न हुआ था।

:: सत्यापन ::

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष निवासी.....
जिला..... शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित
करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान तथा
जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य हैं। ईश्वर मेरी मदद करें।

स्थान :

दहेज स्वीकार नहीं करने के संबंध में घोषणा का शपथ-पत्र

(इस शपथ के नीचे - व्यंजनांशयन स्टाम्प पर नाटकीय तस्दीक किया हुआ)

विवाहित के लिये

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष निवासी.....
.....जिला.....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :

01. मेरा विवाह श्री/सुश्री.....
निवासी.....
के साथ दिनांक.....को सम्पन्न हुआ था।
02. मेरे द्वारा विवाह के समय तथा विवाह के पश्चात आज तक किसी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं किया गया है एवं ना ही प्रदान किया गया है।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

अविवाहित के लिये

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष निवासी.....
.....जिला.....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ। भविष्य में मेरे द्वारा जब भी विवाह किया जावेगा, मैं किसी प्रकार का दहेज स्वीकार नहीं करूंगा/करूंगी एवं ना ही दहेज प्रदान करूंगा/करूंगी।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता

:: सत्यापन ::

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
जाति..... उम्र..... वर्ष निवासी.....
.....जिला.....

शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के सभी तथ्य मेरे निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे।